Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 174/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– रमादेवी पत्नी ओमाराम जाति माली निवासी ग्राम बालरवा, तहसील तिवंरी जिला जोधपुर 2– ओमाराम पुत्र रेवतराम जाति माली निवासी ग्राम बालरवा तहसील तिंवरी जिला जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिवंरी जिला जोधपुर 2– पप्पाराम पुत्र घेवरराम जाति माली निवासीगण ग्राम पाटीया बेरा, बालरवा तहसील तिवंरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–7–2019 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 240/2019 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चैनसिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 2 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 19–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 सख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बालरवा तहसील तिवरी की सरहद मे खसरा नंबर 499/10 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शे मे उक्त गै.मु.रास्ते का खसरा नंबर 499/6 लिखा हुआ है, जो गलत है जबकि खसरा नंबर 499/6 रकबा 5 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी दर्ज है उक्त रास्ता के खसरा नंबर 499/10 जमाबंदी संवत 2071 से 2074 मे खाता संख्या 388 मे जो गै.मु.रास्ता के खसरा नबर 499/10 के स्थान पर त्रुटिवशः 499/6 लिखा गया है, जिसे दुरस्त करने ि निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–7–2019 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम बालरवा के खसरा नंबर 499/6 के स्थान पर राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस मे 499/10 दुरस्त कर अंकित किया जाने का आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । उक्त अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 के सम्मन जारी किये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

अपीलाट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 2 बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किये गये ।

Remove Watermark Now

वकील पक्षकारान उपस्थित । अपीलाट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने के उपरांत अपीलांट को बिना नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना मे प्राथीगण के खते खसरा नंबर 499/10 मे रास्ता बता दिया जिससे अपीलांटगण की भूमि के साथ साथ अपीलांटगण के बने मकान वगैरा भी रास्ते मे आ गये है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय केवल रेकर्ड दुरस्ती बाबत पारित किया है जो मात्र जमाबंदी के रेकर्ड दुरस्ती की जा सकती थी न कि खसरान की वास्तविक स्थिति । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–7–2019 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्ययालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे तहसीलदार तिवंरी से जवाब वलब कर उसके अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभ्यपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदि का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 22–7–19 को प्रस्तुत होने पर दिनांक 23–7–2019 की आदेशिका के जरिये दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी करने की सीलनुमा आदेशिका ड्रॉ हुई है परंतु आदेशिका मे आगामी तारीख पेशी पुनः दिनांक 27–7–19 मे कांट–छांट करते हुए पुनः 23–7–19 दी गई तथा अपीलांधीन आदेश मात्र 6 दिन बाद दिनांक 29–7–2019 को पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पो0गण के नोटिस जारी करने की पुष्टि स्वरूप कोई सबूत उपलब्ध नही है तथा रेस्पो0 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होना भी रेकर्ड पर उपलब्ध नही है इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलांट संख्या 1 व 2 को

Remove Watermark Now

पक्षकार अवश्य बनाया गया था परंतु उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अतः अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–7–2019 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वर्तमान अपीलाटगण जो कि उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे पक्षकार थे, उनको सुनकर तथा मौके की रिपोर्ट तलब कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 19–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

pdfelement

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.12.20 14:28:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: